न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी जिला कोटा

वाद कमॉक	तारीख दायरा	तारीख फैसला
09/2019	01.02.2019	26.09.2019

पीठासीन अधिकारी :– चिमनलाल मीणा (आर0ए0एस0)

–:: उनवान ::–

1. अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान अहमद जाति मुसलमान निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी , जिला कोटा राज0

प्रार्थी / वादी

–:: बनाम ::–

1. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

प्रतिपक्षी / प्रतिवादी

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री धीरज कुमार गुप्ता :– वकील प्रार्थी / वादी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा एकप्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ,

1. यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 798 नया, 740 पुराना, खसरा नम्बर 3044, 3045 की रकबा 2.55 हैक्टयर स्थित है। जिसमे 1/2 पर प्रार्थी काबिज काश्त है।
2. यह कि सेटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2344 की रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा थे। हाल ही मे किये गये भूमि बदोबस्त से पूर्व प्रार्थी के खाते की आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी के ग्राम बारानी प्रथम असिंचित भूमि दर्ज रही है। इस सम्बन्ध मे राजस्व अभिलेख

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी जुल्मी सम्वत् 2053 से 56 की नकले प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है एवं गिरदावरी सम्वत् 2071 से 74 तक सलग्न है जिसमे उक्त भूमि पडत दर्शायी हुई है, पडी हुई है। उपरोक्त भूमि गत कई वर्षो से पडत पडी हुई है जिसमे गत कई वर्षो से कोई कृषि कार्य नही हो रहा है किन्तु हाल ही मे भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमि को नये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी सम्वत् 2074 से 77 मे भू प्रबन्धक कर्मचारियो द्वारा त्रुटी पूर्वक गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय दर्ज कर दिया है एवं भूमि के कायम किये गये खसरा नम्बर मे से त्रुटी पूर्ण तरीके से खसरा नम्बरान् 3044 की रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 3045 की 2.5400 हैक्टयर मे गैर मुमकिन चाह व चाह तृतीय दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर मौके पर प्रारम्भ से कोई चाह नही बना हुआ ही नही है एवं इनके पास कोई नदी नाला भी नही है फिर भी भू प्रबन्ध कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने अवैध रूप से चाही तृतीय सिंचित व गैर मुमकिन चाह भूमि दर्ज कर दिया है व भूमि के नये राजस्व नक्शे मे त्रुटी से चाह का अंकन कर दिया है जो पूर्ण रूप से अवैध है। क्योकि भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा भूमि. के मौका निरीक्षण किये बिना ही भूमि के सम्बन्ध मे त्रुटी पूर्ण इन्द्राज कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पडरहा है। इस कारण उक्त त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी ग्राम जुल्मी व राजस्व नक्शा को उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

3. यह कि उक्त सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक–6.04.2018 मे पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा देखा गया जिस पर उक्त भूमि उबड खाबड व पडत है तथा वर्तमान मे कोई कुऑ स्थित नही है उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।
4. यह कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध अभिलेख मे की गयी त्रुटी की जानकारी प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त होने पर हुई है। नकल प्राप्त होने पर प्रार्थी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
5. यह कि विवादित भूमि ग्राम जुल्मी मे स्थित होने से उक्त भूमि के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 798 नया, 740 पुराना, खसरा नम्बर 3044, 3045 की रकबा 2.55 हैक्टयर स्थित से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मौके की स्थिति के अनुसार दुरूस्त कर बारानी प्रथम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा जरिये पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत किया कि,

1. मुताबिक भू0प्रबंध जमाबन्दी ग्राम जुल्मी 2004–24 ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 3044ख 3045 कालूलाल पुत्र ग्यारसीराम लश्करी हि0 1/2 साबिकन देह अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान अहमद हि0 1/2 कौम मुसलमान साकिन दे हके नाम खसरा नम्बर 3044 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 3045 रकबा 2.54 हैक्टर किस्म चाही तृतीय दर्ज रिकार्ड है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 3044 रकबा 0.01 हैक्टर व 3045 रकबा 2.54 गत खसरा नम्बर 2344 मिन रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा से बने में । रिपोर्ट पटवारी जुल्मी दिनॉक 1.3.19 अनुसार मोके पर खसरा नम्बर 3044 में चाह बना नहीं है। भूमि पड़त है शेष प्रार्थी स्वयं सिद्व करें।
3. प्रार्थी स्वयं सिद्व करें।
4. अस्वीकार है, चूँकि सेटलमेंन्ट संक्रियाओं के दौरान विभाग द्वारा प्रत्येक खातेदार/गैर खातेदार को भू0प्रबंध विभाग द्वारा पट्टा वितरण किया जाता है जिसमें खातेदार के गत खसरा नम्बर व नवीन खसरा नम्बर व किस्म एवं लगान का पूर्ण विवरण होता है एवं खातेदार/गैर खातेदार से अंकित सूचनाओं के संबंध में आपत्ति मॉगी जाती है।

अप्रार्थी/प्रतिपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना

Scanned by CamScanner

पत्र को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में परिवर्तित करने की कृपा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी को उक्त भूमि पर 500/– पॉच सों रूप्ये मोका कमिश्नर फीस पर मोका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्रॉक भू0अभि दिनॉक 31.05.2019 से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि,

1. हाल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 3044,रकबा 0.01 है0व 3045 रकबा 2.54 खातेदार कालुराम पुत्र ग्यारसीराम लश्करी हिस्सा 1/2 व अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान अहमद हि0 1./2 सा0 देह दर्ज है। नकल संलग्न है।
2. वर्तमान जमाबन्दी खाता नम्बर 798 में अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान अहमद हि0 1/2 मुसलमान सा0 देह तस्वीरबाई पुत्री कालूराम 1/16 जाति लश्करी सा0 देह ना0बा0 देवराज पुत्र रेखाबाई 1/48 जाति लश्करी ना0बा0 पूनम पुत्री रेखाबाई 1/48 बालचंद पुत्र कालूराम 1/16 माया पुत्री कालूराम 1/16 रणजीत बाई पुत्री कालूराम 1/16 रामनाथी पत्नी कालूराम 1/16 ललताबाई पुत्री कालूराम 1/16 लालबाहादुर पुत्र कालूराम 1/16 ना0बा0 साक्षी पुत्री रेखाबाई 1/48 जाति लश्करी सा0देह दर्ज है।
3. मौके पर खसरा नम्बर 3045 पर कोई फसल नहीं है। वर्षो से पड़त हुआ है। आधे हिस्से पर पत्थर का टीला पड़ा हुआ है। मोके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 3044 का कोई चाह/कुआ नहीं है।
4. गत सैटलमेंन्ट का रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

पक्षकारान् को अपने अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य प्रार्थी/वादी द्वारा

1. नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी संवत् 2074–77 खाता नम्बर 798 प्रदर्श–1
2. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी संम्वत् 2071–74 खसरा नम्बर 3044, 3045 प्रदर्श–2
3. छायाप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम जुल्मी 2004–24 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबंदी ग्राम जुल्मी 2057–60 प्रदर्श–4

Scanned by CamScanner

5. छायाप्रति नकल जमाबन्दी भू0प्रबंध 2004–24 खाता नम्बर 120 से 123
6. शपथपत्र साक्ष्य वादी/प्रार्थी प्रदर्श पी0डब्ल्यू–1

प्रकरण की विषयवस्तु पर प्रकरण के संबंधित तथ्य प्रकटीकरण हेतु निम्न दस्तावेज वास्ते अवलोकन मॅगवाये जाकर शामिल मिसल किये गये। उक्त दस्तावेजात पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 से 39 पर शामिल पत्रावली किये गये।

1. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी खरीफ 2075 खसरा नम्बर 3044 व 3045
2. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी रबी 2075 खसरा नम्बर 3044 व 3045
3. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी खरीफ 2067–70 खसरा नम्बर 3044 व 3045
4. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2071–74 खसरा नम्बर 3044 व 3045
5. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2024–27 खसरा नम्बर 2344
6. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2037–40 खसरा नम्बर 2344
7. नकल खसरा गिरदावरी ग्रांम जुल्मी 2028–31 खसरा नम्बर 2344
8. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2033–36 खसरा नम्बर 2344
9. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2041–44 खसरा नम्बर 2344
10. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2045–48 खसरा नम्बर 2344
11. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2057–60 खसरा नम्बर 2344

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी सुनी गई। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में वादी वकील द्वारा अंकित किया गया कि,

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 1026 नया, 78 पुराना, खसरा नम्बर 3044, 3045की रकबा 2.55 हैक्टयर स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि सेटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2344 की रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा थे। हाल ही मे किये गये भूमि बदोबस्त से पूर्व प्रार्थी के खाते की आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी के ग्राम बारानी प्रथम असिंचित भूमि दर्ज रही है। इस सम्बन्ध मे राजस्व अभिलेख जमाबन्दी जुल्मी सम्वत् 2053 से 56 की नकले प्रार्थना पत्र के साथ सलग्ंन है एवं गिरदावरी सम्वत् 2071 से 74 तक सलग्ंन है जिसमे उक्त भूमि पडत दर्शायी हुई है, पडी हुई है। उपरोक्त भूमि गत कई वर्षो से पडत पडी हुई है जिसमे गत कई वर्षो से कोई कृषि कार्य नही हो रहा है किन्तु हाल ही मे भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमि को नये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी सम्वत् 2074

Scanned by CamScanner

से 77 मे भू प्रबन्धक कर्मचारियो द्वारा त्रुटीपूर्वक गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय दर्ज कर दिया है एवं भूमि के कायम किये गये खसरा नम्बर मे से त्रुटी पूर्ण तरीके से खसरा नम्बरान् 3044 की रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 345 की 2.54 हैक्टयर मे गैर मुमकिन चाह व चाह तृतीय दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर मौके पर प्रारम्भ से कोई चाह नही बना हुआ ही नही है एवं इनके पास कोई नदी नाला भी नही है फिर भी भू प्रबन्ध कर्मचारियो एवं अधिकारियेा ने अवैध रूप से चाही तृतीय सिंचित व गैर मुमकिन चाह भूमि दर्ज कर दिया है व भूमि के नये राजस्व नक्शे मे त्रुटी से चाह का अंकन कर दिया है जो पूर्ण रूप से अवैध है। क्योकि भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियेा द्वारा भूमि के मौका निरीक्षण किये बिना ही भूमि के सम्बन्ध मे त्रुटी पूर्ण इन्द्राज कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियेा का सामना करना पडरहा है। इस कारण उक्त त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी ग्राम जुल्मी व राजस्व नक्शा को उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उक्त सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक–6.04.2018 मे पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा देखा गया,जिसमे भूमि पडत है तथा वर्तमान मे कोई कुआँ स्थित नही है उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है तथा वर्तमान मे तहसीलदसार साहब,रामगंजमण्डी द्वारा विवादित स्थल का मौका देखकर मौके की मौका रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार भी उक्त भूमि बारानी प्रथम असिचिंत भूमि है तथा मौके पर कोई चाह स्थित नही है।

यह कि प्रार्थी अपने कथनो के समर्थन मे आर0आर0टी0 2009 पेज 954–955, आर0आर0टी0 2013(1) पेज 226–227 तथा ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1582 व आर.बी.जे. (10)2003 पेज 188 रूपनारायण –बनाम– कजोड़मल, पेश कर रहा है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वांछित इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 798 नया, 740 पुराना, खसरा नम्बर 33044, 3045 की रकबा 2.55 हैक्टयर स्थित से सम्बन्धित राजस्व

Scanned by CamScanner

रिकार्ड जमाबन्दी मे मौके की स्थिति के अनुसार दुरूस्त कर बारानी प्रथम दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। 10

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी का कथन है कि सेटलमेंन्ट से पूर्व प्रार्थी की भूमि बारानी प्रथम दर्ज है। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा गलती से प्रार्थी की भूमि में चाह दिखाते हुये प्रार्थी की भूमि को चाही अंकित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। सेटलमेंन्ट से पूर्व उक्त भूमि बारानी दर्ज है। सेटलमेंन्ट के रिकार्ड में चाही दर्ज कर दिया गया है। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी/वादी की भूमि में कुआ दर्शा दिया है जबकि मौके पर कोई कुआ मौजूद ही नहीं है। तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर कोई कुआ नहीं है। भूमि पड़त पड़ी हुई है।

अतः प्रार्थनापत्र/वादपत्र में अंकित भूमि को पुनः बारानी प्रथम दर्ज किया जावे। चाह नाम की कोई जगह वादी की भूमि में नहीं होने से उक्त चाह का अंकन भी हटाया जावे। तथा रिकार्ड को सेटलमेंन्ट से पूर्ववत दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार का कथन है कि सेटलमेंन्ट से पूर्व प्रकरण वर्णित भूमि पर कोई चाह दर्ज नहीं था। भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज थी। सेटलमेंन्ट ने इनकी भूमि पर चाह अंकित कर भूमि की किस्म चाही दर्ज कर दी है। मोके पर चाह/कुआ नहीं है।

बाद बइस हमने पत्रावनी का आघोपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र/वादपत्र में अंकित तथ्य, जवाब सरकार, मौका कमिश्नर रिपोर्ट , उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।

हस्व प्रदर्श–1 वादगत भूमि खसरा नम्बर 3044 रकबा 0.01 हैक्टर , व 3045 रकबा 2.54 हैक्टर वादी के नाम पर हिस्सा 1/2 में दर्ज रिकार्ड है। बकाया 1/2 हिस्सा मृतक कालूराम के वारिसान के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 3044 चाह अंकित किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 3045 में भूमि की किस्म चाही तृतीय अंकित की हुई है। हस्व प्रदर्श–2 वादगत उक्त भूमि पड़त अंकित है। प्रदर्श–3 वादगत भूमि हाल खसरा नम्बर 3044 व 3045 साबिक आराजी नम्बर 2344 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा से पैमूद की गई है। हस्व प्रदर्श–4 साबिक खसरा नम्बर 2344 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा

वादी हिस्सा 1/2 तथा कालूराम लश्करी हिस्सा 1/2 साकिन जुल्मी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रदर्श–4 के राजस्व अभिलेख के कॉलम नम्बर 7 में भूमि की किस्म " **बारानी प्रथम** " अंकित है।

(11)

एक नजर में पक्षकार की भूमि के बन्दोबस्त से पूर्व व बाद बन्दोबस्त निम्न प्रकार की प्रस्थिति प्रकट हो रही है।

बंदोबस्त से पूर्व की स्थिति			बद बंदोबस्त स्थिति			परिवर्तन
ख0 न0	रकबा	किस्म	ख0 न0	रकबा	किस्म	
2344	15 बीघा 15 बिस्वा	बारानी प्रथम	3044	0.01 है0	चाह	भूमि का किस्म परिवर्तन कर दिया है।
			3045	2.54 है0	चाही तृतीय	

तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मौका निरीक्षण के उपरान्त जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार भूमि मौके पर पड़त है तथा उक्त भूमि में कोई कुआ मौजूद नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि में मोके पर कुआ नहीं होते हुये बन्दोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी तथा मोके पर कुआ नहीं होते हुये भूमि में कुआ अंकित कर दिया।

महकमा बन्दोबस्त द्वारा मोके से इतर जाकर राजस्व रिकार्ड में जो अंकन किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। सेटलमेंन्ट के दोरान उक्त खाते की भूमि का रिकार्ड त्रुटिपूर्ण पैमूद किये जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। रिकार्ड में मोके से विपरीत जाकर जो त्रुटिपूर्ण अभिलेख तैयारी का कार्य किया गया है वह अनुचित प्रतीत होता है। उक्त प्रकार के सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 1582 में उल्लेखित है कि,

The Statution Authority can not Travel beyond the Power conferred & any action without power has no legal validity . it is ab initio void & can not be ratified .

आर0बी0जे0(10) 2003 पेज 188 रूपनारायण बनाम कजोड़मल में माननीय न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं

Scanned by CamScanner

Settlement Authorities have no power to delete the Original Entries and make new Entries-in the case during the the settlement Operation , Assistant settlement Officer Deleted the name of the applicant Who is recorded Khatedar of the disputed land and made entries in the name of non Applicants, whereas settlement authorities have no right to delete the Original Entry and make New entries without any Order of the competent Court . Revision Accepted .

RRt 2013 {1} पृष्ठ 332 हरिनारायण बनाम भागीरथ में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि " **भू0प्रबंध विभाग द्वारा भू0प्रबंध के दौरान राजस्व रिकार्ड में किया गया परिवर्तन क्षेत्राधिकार विहीन होने से प्रभावशून्य है** "।

माननीय न्यायालयों के निर्णयों की रोशनी में हम प्रस्तुत प्रकरण को देखते है तो पाते है कि वादी/प्रार्थी के खाते में दौराने भू0प्रबन्ध , महकमा बन्दोबस्त द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाकर भूमि में चाह अंकित नहीं होते हुये भी चाह अंकित कर दिया तथा भूमि स्पष्ट रूप से " बारानी प्रथम " अंकित है जिसे भी चाही तृतीय अंकित कर दिया है। मोके पर जब चाह ही मौजूद नहीं है तो भूमि चाही किसा प्रकार अंकित कर दी । महकमा बन्दोबस्त द्वारा मौके से इतर जाकर त्रुटिपूर्ण रिकार्ड तैयार किया है, जिसका उन्है कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य उचित नहीं ठहराया जा सकता।

भू0प्रबन्ध विभाग के उक्त कृत्य को हम वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रति0 के जवाब के अनुसार उचित नहीं पाते है। प्रार्थी को उक्त अंकन के परिणामस्वरूप किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को निरस्त करवा कर दुरूस्ती का अधिकारी पाया जाता है क्योंकि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण है और उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य के परिणाम जिसके द्वारा वादी की भूमि में चाह/कुवा दर्शाया तथा भूमि की किस्म को **बारानी प्रथम** के स्थान पर **चाही तृतीय** त्रुटिपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, को हम न्याय की दृष्टि मे भी त्रुटिपूर्ण पाते है।

Scanned by CamScanner

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया गया। खसरा गिरदावरी , रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी , रिपोर्ट मोका पटवारी , व पत्रावली का गहन मनन अवलोकन किया।

(13)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तदुपरान्त वादपत्र में अंकित तथ्यों, वॉच्छित अनुतोषादि ,जवाब सरकार , मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी तथा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि पर सम्यक विधिसंगत विचारणोपरान्त हम यह पाते है कि वाद वादी में वादी के खाते की भूमि की स्थिति बन्दोबस्त से पूर्व स्थिति बहाल किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि, वादी के खातेदारी की भूमि वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी आराजी खसरा नम्बर 3044 , 3045 किता 2 रकबा 2.55 हैक्टर की किस्म सेटलमेंन्ट से पूर्व की स्थिति अनुसार कमशः गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय के स्थान पर बारानी प्रथम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो।

पत्रावली बाद तामील तकमील निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

26/9/19

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 26/09/2019 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(14)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा

–:: उनवान ::–

2. अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान अहमद जाति मुसलमान निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी , जिला कोटा राज0

प्रार्थी / वादी

–:: बनाम ::–

1. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

प्रतिपक्षी / प्रतिवादी

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मिसल नम्बर 9 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ **चिमनलाल मीणा** (आर0ए0एस0) बहाजिरी श्री धीरज कुमार गुप्ता ,एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु , मिनजानिब मुद्दालयह पैरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि '' दावा वादी गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि, वादी के खातेदारी की भूमि वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी आराजी खसरा नम्बर 3044 , 3045 किता 2 रकबा 2.55 हैक्टर की किस्म सेटलमेंन्ट से पूर्व की स्थिति अनुसार क्रमशः गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय के स्थान पर बारानी प्रथम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। ''
मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

वाद व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner